<u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा में 30 जून 2025 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन</u>

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) हरियाणा ने 30 जून 2025 को वर्ष 2025-26 की प्रथम त्रैमासिक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। राजभाषा हिन्दी का महत्व एवं इसके कार्यान्वयन से संबंधित सरकारी कर्मचारियों के दायित्व बताने हेतु इस कार्यशाला का विषय **<u>सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग</u>** रखा गया ।

इस कार्यशाला का उद्देश्य नव नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियमों से अवगत कराना और सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को हिन्दी भाषा में सरकारी कामकाज करने के लिए प्रेरित करना रहा । इस कार्यशाला में हरियाणा राज्य केंद्र चंडीगढ़ में पदस्थ अधिकारी एवं वी. सी. के माध्यम से ज़िला अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यशाला की शुरुआत करते हुए राजभाषा हिंदी समिति के अध्यक्ष **श्री भूपिंदर सिंह सैनी, अपर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी(राज्य) एवं वैज्ञानिक -एफ** ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्यशाला के विषय एवं उद्देश्य का परिचय दिया।

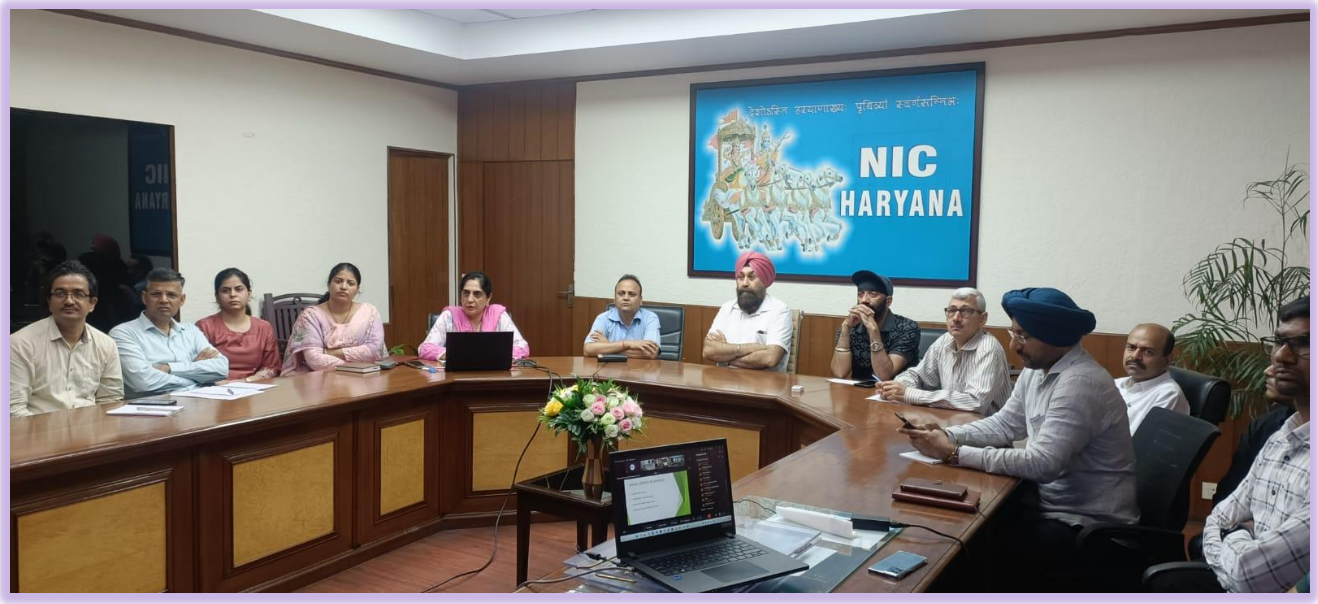

कार्यशाला में **श्रीमति जगनप्रीत कौर, वैज्ञानिक-सी** ने अपने विस्तृत प्रस्तुतीकरण की शुरुआत राजभाषा अधिनियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए की। उन्होंने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों की सूची दी जिन्हें केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाना आवश्यक है। उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन समिति (Official Language Implementation Committee - OLIC) के गठन एवं दायित्वों से संबंधित जानकारी भी दी। सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित हिंदी

प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया । अपने कार्यालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी भाषा में ही तकनीकी संगोष्ठियाँ करने पर भी बल दिया।

कार्यशाला में उपस्थित **श्री सरबजीत सिंह**, **उपमहानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, हरियाणा** ने इस ज्ञानवर्धक सत्र की प्रशंसा की और राजकीय कार्यों में हिन्दी के कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु उपलब्ध कंठस्थ एवं भाषिणी जैसे ई-उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हिन्दी कार्यशाला में सभी अधिकारियों / कर्मचारियों, विशेष रूप से ज़िला अधिकारियों / कर्मचारियों को भी अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम की कुछ झलकियां :

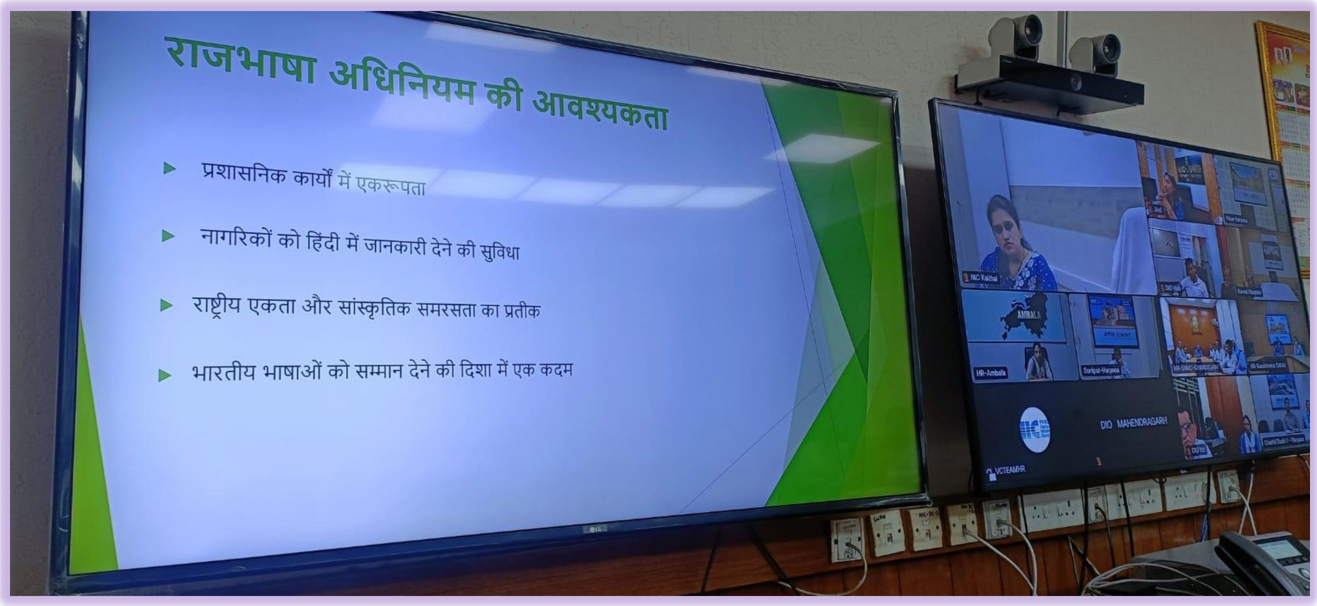
राजभाषा अधिनियम की आवश्यकता
प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता
नागरिकों को हिंदी में जानकारी देने की सुविधा
राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक
भारतीय भाषाओं को सम्मान देने की दिशा में एक कदम
DIO MAHENDRAGARH